भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †626

सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु और ओडिशा में स्वीकृत पर्यटन परियोजनाएं

†626. श्री धनुष एम. कुमार:

श्रीमती मंजुलता मंडल:

श्री जी. सेल्वम:

श्री सी.एन. अन्नादुरई:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित, स्वीकृत और निष्पादित पर्यटन परियोजनाओं का और अब तक पूरी की गई पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में शेष परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) तमिलनाडु और ओडिशा में पर्यटन परियोजनाओं को पूरा करने में सरकार को किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इन राज्यों में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त परियोजनाओं के कारण सृजित की गई/सृजित की जाने वाली प्रस्तावित रोजगार क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह सच है कि सरकार तमिलनाडु और ओडिशा में पर्यटन का विकास करने में विफल रही है जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): स्वदेश दर्शन, प्रशाद और केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में स्वीकृत परियोजनाओं, जारी की गई राशि और उपयोग की गई राशि तथा उनकी स्थिति का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ङ): उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं ताकि इन पर्यटन गंतव्यों/स्थलों पर अधिक संख्या में पर्यटक आएं और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकें।

(च): जी नहीं, महोदय। तमिलनाडु और ओडिशा में 2020 से 2022 के दौरान घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(लाख में)

वर्ष	तमिलनाडु	ओडिशा
2020	1406.51	46.22
2021	1153.37	37.42
2022	2185.85	78.68

(छ): पर्यटन मंत्रालय ने तमिलनाडु और ओडिशा सहित देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं /पहलें शुरू की हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

i. 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन' (प्रशाद) और 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास।
ii. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में परिवर्तित किया है।
iii. आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) योजना के अंतर्गत मेलों/उत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।
iv. नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल शुरू की गई है।
v. अन्य निश थीमों के साथ-साथ निरोगता पर्यटन, कालीनरी पर्यटन, ग्रामीण, ईको-पर्यटन आदि जैसे थीमैटिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि पर्यटन के दायरे को अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा सके।
vi. 167 देशों के नागरिकों के लिए पाँच उप-श्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीज़ा, ई-बिज़नेस वीज़ा, ई-चिकित्सा वीज़ा, ई-चिकित्सा सहयोगी वीज़ा और ई-सम्मेलन वीज़ा के लिए ई- वीज़ा की सुविधा प्रदान करना।

vii. ई- वीज़ा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है।

viii. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए 1001/- रु. से 7,500/- रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी 12% और 7,501/- रु. से अधिक के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर 18% कर दिया गया।

ix. पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर आरसीएस उड़ान योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा चिह्नित एयरलाइनों को 59 पर्यटन रूट सौंपे गए हैं जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन गंतव्यों के लिए हवाई संपर्क में सुधार हेतु इनमें से 53 मार्गों को प्रचालनरत किया गया है।

x. पर्यटन मंत्रालय अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम (आईआईटीएफ) चला रहा है, जोकि एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में उच्च प्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का एक पूल बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का निर्माण करना है।

xi. बेहतर सेवा मानक प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत करने हेतु 'सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) के तहत कार्यक्रम चलाना।

****

अनुबंध

तमिलनाडु और ओडिशा में स्वीकृत पर्यटन परियोजनाएं के सम्बन्ध में दिनांक 24.07.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †626 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना (करोड़ रुपये में)

क्र सं	राज्य	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	भौतिक स्थिति (%)
1.	तमिलनाडु	तटीय परिपथ 2016-17	(चेन्नई- माममल्लापुरम - रामेश्वरम - मनपाडु - कन्याकुमारी) का विकास	73.13	69.48	69.48	पूर्ण
2.	ओडिशा	तटीय परिपथ 2016-17	गोपालपुर, बरकुल, सतपाड़ा और तामपारा का विकास	70.82	67.28	63.25	94.72%

प्रशाद योजना (करोड़ रुपये में)

क्र सं	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	भौतिक प्रगति
1.	ओडिशा	मेगा सर्किट के तहत पुरी, श्री जगन्नाथधाम-रामचंडी-देउली में प्राची रिवर फ्रंट में अवसंरचना का विकास	2014-15	50.00	10.00	राज्य से यूसी प्रतीक्षित है	बंद
2.	तमिलनाडु	कांचीपुरम का विकास	2016-17	13.99	13.99	13.99	पूर्ण
3.		वेलनकन्नी का विकास	2016-17	4.86	4.86	4.86	पूर्ण

पर्यटन अवसंरचना विकास योजना के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	राज्य	परियोजनाओं के नाम	केंद्रीय एजेंसी	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि	स्थिति
वर्ष 2012-13							
1.	तमिलनाडु	चेन्नई बंदरगाह पर मौजूदा यात्री टर्मिनल में	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	17.25	17.25	17.25	पूर्ण

		क्रूज यात्री सुविधा केंद्र					
वर्ष 2016-17							
2.	ओडिशा	पुरी रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेलवे मंत्रालय	6.15	6.15	6.15	पूर्ण
वर्ष 2017-18							
3.	तमिलनाडु	रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेलवे मंत्रालय	4.70	3.76	2.27	जारी
वर्ष 2018-19							
4.	तमिलनाडु	मदुरै रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेलवे मंत्रालय	4.48	3.56	2.23	जारी

****